

11 04
19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री सोमय सोय, पिता-स्व0 चरण सोय ग्राम-डिलियामार्चा, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- डिलियामार्चा, थाना नं0- 108, खाता नं0- 138, प्लॉट नं0- 597, रकवा- 0.15 एकड़ भूमि क्रेता श्री दीनबन्धु जारिका, पिता- स्व0 बोरता जारिका, ग्राम- कुन्दरूहातु, थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नामांतरण एवं मु0सं0 331/2015-16 द्वारा आवेदक के नाम से नामांतरित है। तथा आवेदक पंजी II के रैयत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-185 दिनांक- 22.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एवं अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री दीनबन्धु जारिका, पिता-स्व0 बोरता जारिका, ग्राम- कुन्दरूहातु के पास 6,04,500.00/- (छः लाख चार हजार पांच सौ) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री सोमय सोय, पिता-स्व0 चरण सोय ग्राम-डिलियामार्चा, थाना- मुफसिल, क्रेता श्री दीनबन्धु जारिका, पिता- स्व0 बोरता जारिका, ग्राम- कुन्दरूहातु थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 6,04,500.00/- (छः लाख चार हजार पांच सौ) में मौजा- डिलियामार्चा, थाना नं0- 108, खाता नं0- 138, प्लॉट नं0- 597, रकवा- 0.15 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।